न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **72/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री अलाउदीन शेख पिता समसुदीन शेख निवासी दीवान जी की हवेली, वार्ड नं0 35, पंचमुखी रोड़, बाहला भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 06/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 24.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 674859 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 30.05.2017 को प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.05.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 10/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि अपीलार्थी को समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में न्यायालय अति0जिला कलक्टर के पत्रांक 6860 दिनांक 23.06.2017 से अवगत करा दिया गया जिसकी प्रति स्वयं अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों के साथ संलग्न की है। अपीलार्थी के द्वारा अपनी अपील में कथन किया कि आइडी नं0 0816271881852–2 दिनांक 29.06.2017 से तहसीलदार भीलवाड़ा को 21 दिवस में सूचना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वक्त सुनवाई मौखिक बताया परन्तु इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज/आधार प्रस्तुत नहीं किया कि तहसीलदार भीलवाड़ा को किस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया एवं किस कार्यालय से पत्र जारी हुआ ऐसा दस्तावेज अपील मेमो के साथ अपीलार्थी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी की यह अपील विरोधाभाषी है। अर्थात अपीलार्थी ने अपील में तहसीलदार भीलवाड़ा का उल्लेख किया जबकि अपील के साथ आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2017 लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा का प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है ।

अतएव अपीलार्थी को वांछित सूचना समयावधि में उपलब्ध करा दिए जाने से अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा